संस्था

का वार्षिक

प्रतिवेदन

वर्ष – 2018-19

महाकौशल विकास समिति

पं. क्रं. 1045, दिनांक – 30 मार्च 2002

फेस–2 डीडवानिया रेसीडेन्सी के पास, सेंचुरी कालोनी, विनायका विहार डी.डी. नगर रायपुर (छ.ग.)

मो.नं. 9826175100, 9424200004 E-mail - mvsraipur@yahoo.in

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19

01. आँगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र :–

संस्था द्वारा संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र कांकेर में वित्तिय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत मूलभूत प्रशिक्षण हेतु 04 बैचो का प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 02 बैचों कर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें कुल 44 प्रशिक्षणार्थीयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण हेतु 20 बैचों के प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 06 बैचों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें कुल 200 प्रशिक्षणार्थीयों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

स. क.	प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण		मूलभूत प्रशिक्षण		प्राप्त आबंटन 2018–19	शेष राशि 2017–18	योग	व्यय राशि			शेष राशि 2017–18
	बैच	प्रतिभागी	बैच	प्रतिभागी				प्रशि.	प्रशा.	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**06**	**200**	**02**	**44**	**0.00**	**1127000**	**1127000**	**468769**	**555480**	**1024249**	**102751**

आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	उपस्थित प्रतिभागी	रिमार्क
1	मूलभूत प्रशि	12.04.2018 से 13.05.2018	26	अतिथि शिक्षक– श्रीमति संगीता शर्मा (क्राफ्ट टीचर), श्रीमति प्रमिला जैन
2	मूलभूत प्रशि	17.05.2018 से 17.06.2018	18	
3	प्रत्यस्मरण	25.06.2018 से 01.07.2018	39	
4	प्रत्यस्मरण	04.07.2018 से 10.07.2018	11	
5	प्रत्यस्मरण	13.07.2018 से 19.07.2018	49	
6	मूलभूत प्रशि.	23/07/2018 से 29/07/2018	40	
7	प्रत्यस्मरण	01/08/2018 से 07/08/2018	25	
8	प्रत्यस्मरण	10/08/2018 से 16/08/2018	36	

आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

02. बालगृह (बालक) का संचालन :–

संचालनाय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 09/02/2018 को पत्र क्र. 10311/म.बा.वि/आईसीपीएस/17–18 के आदेशानुसार संस्था द्वारा मुंगेली जिले में 50 बच्चो की क्षमता वाले बालगृह (बालक) केन्द्र का संचालन किया जा रहा हैं।

वर्ष 2018–19 अंतर्गत बालगृह (बालक) केन्द्र में कुल 13 बालकों का आगमन हुआ जिसमें 09 बालकों को उनके अभिभावकों के पास पुर्नवास किया गया, 01 बालक को मानसिक चिकित्सा केन्द्र सेन्द्री (बिलासपुर) में उपचार हेतु भेजा गया है तथा शेष 03 बालक बालगृह (बालक) केन्द्र में निवासरत है एवं पाठशाला में अध्ययनरत् हैं।

संस्था द्वारा बालगृह (बालक) केन्द्र में निवासरत बालको हेतु उनके भोजन व्यवस्था, शयन व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था एवं उनके शिक्षा की व्यवस्था की गई हैं। प्रत्येक माह बालको का स्वास्थ परीक्षण भी कराया जाता हैं। संस्था द्वारा शासन के आदेशानुसार बालगृह (बालक) केन्द्र में 14 कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति की गई है। जिनके द्वारा अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन उचित ढंग से किया जाता हैं।

संस्था के समस्त क्रियाकलापों एवं व्यवस्थाओं का समय–समय पर विभागीय अधिकारीयों एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा निरिक्षण किया जाता हैं।

बालगृह कार्यालय

क्र.	वर्ष में आये बालकों की संस्था	कुल पूनर्वास/नियुक्त किये बालकों की संस्था	वर्तमान में निवासरत बालकों की संस्था	रिमार्क
1	13	09	04	निवासरत बालकों में 01 बालक मनोचिकित्सा केन्द सेन्द्री बिलासपुर में उपचार हेतु हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा बालगृह केन्द्र शुभांरभ अवसर

प्रस्तावना :–

मुंगेली जिले में बालगृह (बालक) केन्द्र का संचालन महाकौशल विकास समिति के द्वारा 20/03/2018 से विधिवत् किया जा रहा है। संस्थान में विधि का अभिकथित उल्लंघन करने पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के सर्वोत्तम हित न्याय निर्णयन और निपटारे बालको के प्रति मित्रवत् दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत जरूरतों को पुरा करते हुए बालकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और बालकों का सर्वोत्तम विकास करना ही संस्था का मुख्य लक्ष्य है।

उद्देश्य :–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार मुख्य उद्देश्य :–

01 जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नही है, जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई साधन नही है उनको संरक्षण प्रदान करना।
02 श्रम विधियों का उल्लंघन करने वाले या पथ पर भीख मांगने वाले बालकों को संरक्षण प्रदान करना ।
03 बालकों को मारने उसे क्षति पहुचाने, उनका भोशण करने वाले बालको को संरक्षण प्रदान करना।
04 बाल कल्याण समिति के द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाये गये बालकों को संरक्षण प्रदान करना।
05 जिसके माता–पिता नही है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नही है या जिसके माता–पिता से उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिये ऐसे बालको की संरक्षण प्रदान करना।

अधिकारीयों द्वारा बालगृह का निरिक्षण

संस्था के द्वारा बालकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं :–

- 01संस्था में आगमन पश्चात् 24 घण्टे के अंदर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाता है।
- बालको को रोजगार हेतु शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- बालको को सर्वागिण विकास प्रशिक्षण/कार्यशाला लगाया जाता है।
- 04 इन्डोर/आउटडोर खेल की सुविधा प्रदान किया गया है।
- 05 शैक्षणिक प्रशिक्षण हेतु बालकों को स्कूल में भर्ती कराया जाता है।
- बालकों को बालगृह (बालक) में रेसीडेन्सीयल फेसिलिटिज उपलब्ध करायी जाती है।

बालगृह (बालक) मुंगेली (छ0ग0) में निवासरत् बालकों का विवरण :–

क.	प्रवेश दिनांक	बालक का नाम	उम्र/जन्म दिनांक	मुक्ति का प्रकार
01	25/05/2018	विजय राजपूत	05/04/2001	पुर्नवास
02	06/06/2018	सत्यप्रकाश साहू	04/01/2005	पुर्नवास
03	11/06/2018	सूर्यप्रकाश साहू	17/02/2003	पुर्नवास
04	13/07/2018	मनमोहन यादव	08/04/2010	पुर्नवास
05	23/07/2018	करण गोंड	15/10/2005	निवासरत्
06	10/08/2018	नारायण गेंदले	30/04/2001	स्थानांतरण
07	24/08/2018	राकेश यादव	03/08/2009	निवासरत्
08	03/10/2018	सत्यप्रकाश साहू	04/01/2005	निवासरत्
09	05/10/2018	पवन जोशी	14 वर्ष	स्थानांतरण
10	15/10/2018	इदरीश खान	15 वर्ष	पुर्नवास
11	15/10/2018	युसुफ खान	10 वर्ष	पुर्नवास
12	18/01/2019	नारायण गेंदले	30/04/2001	चिकित्सा हेतु सेंदरी स्थानांतरण
13	20/02/2019	शैलेश टंडन	14 वर्श	पुर्नवास

- निवासरत् बालकों की संख्या :– 04
- अब तक विमुक्त हुए बालकों की संख्या :– 09

03. मतदाता जागरूकता कार्यक्रम :–

संस्था द्वारा वित्तिय वर्ष 2018–19 में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा आगामी वर्ष में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बलौदा बाजार जिलान्तर्गत विकास खण्ड सिमगा के ग्रामों – सीतापार, घोघा , उड़ेला, डोंगरिया, नेवधा, लावर तथा नवागांव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत रैली एवं आमसभा का आयोजन किया गया, उक्त कार्यक्रमों में संबंधित ग्रामों के सरपंच पंचगण एवं ग्रामवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया।

आयोजित कार्यक्रमों में मतदान के महत्व को समझाते हुए पूर्ण मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया एवं अपने मताधिकार का उपयोग कर राष्ट्रनिर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया। आयोजित समस्त कार्यक्रमों में संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं पदाधिकारीयों उपस्थित रहें।

रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

04. स्वच्छ भारत कार्यक्रम :-

संस्था द्वारा स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत- अमेरी विकासखण्ड - पाटन, जिला - दुर्ग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अमेरी के सरपंच श्री होरी लाल ठाकुर जी द्वारा किया गया, कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम में स्वच्छता बनाये रखने हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामवासियों को अवगत कराया गया। साथ ही स्वच्छता के लाभ के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में गंदगी से होने वाले घातक बीमारियों से अवगत कराते हुए ग्रामीणो को अपने आस-पास साफ सफाई रखने हेतु अपील किया गया। संस्था के सचिव श्री शंकर लाल ध्रुव के नेतृव्य में ग्राम के बड़े तालाब की सफाई कार्य का संचालन किया गया। जिसमें ग्रामीणो द्वारा सहभागिता दिखाई गई। कार्यक्रम के अंत में संस्था के उपाध्यक्ष श्री पवन कुमार यादव जी द्वारा हमर गांव स्वच्छ गांव, स्वस्थ्य भारत के नारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

05. अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन :-

संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत नवागांव, विकासखण्ड - सिमगा, जिला-बलौदाबाजार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष श्रीमति सुमन सिंह तोमर, सचिव श्री शंकर लाल ध्रुव स्वसहायता समुह के 35 तथा आस-पास ग्रामों की महिलाओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष महोदय द्वारा महिलाओं को शासन द्वारा चलाये जा रहे, कार्यक्रमों में सहभागीता हेतु भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सामाजिक कुरूतियों को दुर करने हेतु दृढ़ संकल्प लेने हेतु अपील किया। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सभी क्षेत्रो में नेतृत्व करने की क्षमता वृद्धि पर प्रकाश डाला गया।

महिला दिवस कार्यक्रम

06. नशा उन्मूलन कार्यक्रम :-

मानव जीवन बहुत ही निर्मल होता है। मानव जीवन में सात्विकता, सज्जनता, उदारता और चरित्र का उत्कर्ष होता हैं। वह खुद का ही नही बल्कि अपने संपर्क में आने वाले का भी उद्धार करता हैं। इसके विरूद्ध तामसी वृत्तियां मनुष्य को पतनोन्मुखी करती हैं उनका मजाक करती हैं।

किसी विद्वान ने यह बात बिलकुल सत्य कही है कि मदिरापान सब बुराईयों की जड़ होती हैं। मदिरा मनुष्य को असंतुलित बनाती है। शराबी व्यक्ति से किसी भी समाज की बुराई की अपेक्षा की जा सकती हैं। इसी कारण से हमारे शास्त्र में मंदिरापान को पाप माना जाता हैं। शराबी व्यक्ति शराब पीकर विवेकशून्य हो जाता है और बेकार, असंगत और अनिर्गल प्रलाप करने लगता है। उसकी चेष्टाओं में अशलीलता का समावेश होने लगता है। वह शिक्षा, सभ्यता, संस्कार और सामाजिक मर्यादा को तोड़कर अनुचित व्यवहार करने लगता है।

इसी कड़ी में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर संस्था प्रमुख तथा अन्य सहयोगी सदस्यों के द्वारा जन मानस को इस विषय पर जागरूक करने तथा नशाखोरो को नशा मुक्ति हेतु प्रेरक पहल करके संबंधी क्रियाकलापों में भागीदार बनकर इस समाज और देश को नशा मुक्ति समाज, नशामुक्त देश की परिकल्पना को सार्थक तथा मूर्त रूप देने संबंधी पहल करने उद्देश्य से इस प्रकार के प्रेरक पहल हेतु संस्था द्वारा ग्राम पंचायत झीट विकासखण्ड -पाटन, जिला- दुर्ग में नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच के सहयोग से ग्रामवासियों को एकत्रित कर ग्राम भ्रमण किया गया एवं नशे के कारण होने वाले दुष्प्रभाव से लोगो को प्रचार-प्रसार के माध्यम से अवगत कराया गया। चुंकि आस-पास के क्षेत्र में नशे की संलिप्तता अधिक है इस कारण आस-पास के ग्रामों के ग्रामवासियों को भी आमंत्रित किया गया एवं नशाबंदी किये जाने हेतु अपील किया गया। नशे के कारण समाज में बढ़ रही कुरितियों से अवगत कराते हुए संस्था के सचिव श्री शंकर लाल ध्रुव ने अवैध शराब बिक्री तथा अन्य प्रकार के नशाखोरी को जड़ से समाप्त करने हेतु दृढ़ संकल्प लेने के लिए अपील किया गया।

07. पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम :–

संस्था द्वारा जिला– दुर्ग के कई ग्रामो जैसे, अमेरी, फुण्डा, झीट, व खुड़मुडी में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृव्य संस्था की **अध्यक्ष श्रीमति सुमन सिंह तोमर** व संचालन संस्था के **सचिव श्री शंकर लाल ध्रुव** द्वारा किया गया तथा सभी सदस्यों की सहभागिता रही। कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामों का भ्रमण कर पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु प्रचार–प्रसार के माध्यम से वृक्षारोपण किये जाने हेतु विशेष अपील किया गया तथा वृक्षो के लगातार कटाई से वातावरण के संतुलन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के संचालन के दौरान ग्रामवासियों को अपने बाड़ी में वृक्षारोपण करने हेतु अपील किया गया एवं वृक्षारोपण हेतु पौधा वितरण करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

वृक्षारोपण का कार्य